COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

B.A. No. 398/2026

Jhajha P.S. case no. 105/2021

Naresh Yadav Vs. State of Bihar

20.06.2026

झाझा थाना कांड संख्या–105/2021, जो भा0द0वि0 की धारा 452, 342, 323, 354(A), 380, 366(A), 506 सभी सपठित धारा 34 से संबंधित है, के अभियुक्त **नरेश यादव,** उम्र लगभग 30 वर्ष पिता–उमराज उर्फ उमराव यादव, निवासी ग्राम–पैरगाह, थाना–झाझा, जिला–जमुई की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

कांड की सूचिका कुसमा देवी द्वारा थानाध्यक्ष झाझा को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2021 को आधी रात करीब 12:00 बजे वे लोग अपने परिवार वालो के साथ घर में सो रही थी तभी उसके घर के दरवाजे को कुछ लोग खटखटाते हुए कहने लगे कि दरवाजा जल्दी खोलो वरना जान से मार देंगे। फिर उसने जब दरवाजा खोलकर देखा तो तब कुछ बंदूकधारी हरवे हथियार से लैस होकर जबरदस्ती घर में घुस गये और उसका बाल पकड़कर कहने लगे कि जल्दी अपना सारा जेवर एवं रूपया निकालो वरना अंजाम बुरा होगा। उसके पति संजय यादव ने जब इसका विरोध किया तो उन लोगों ने बंदूक सटाकर उसे एवं उसके पति संजय यादव का हाथ रस्सी से बांध दिया तथा बक्से में रखा पांच लाख रूपया, जो जमीन बेचकर उसने रखा था तथा 20 भर चांदी का जेवर निकाल लिया। इस वारदात में बासुकी यादव, घिरो यादव, **नरेश यादव,** विपिन यादव, रामोतार यादव एवं लगभग 6 की संख्या में अज्ञात लोग शामिल थे। वे लोग उसके हो हल्ला करने पर उसकी 13 वर्षीय पुत्री को जबरदस्ती उठाकर स्कार्पियो गाड़ी में बैठाकर ले गये तथा कहने लगे अगर किसी के पास गये तो उसकी बच्ची को मार देंगे।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर अग्रिम जमानत हेतु अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जो A.B.A. 1095/2021 के रूप में इसी न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किये जाने के पश्चात आवेदक अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन दिया गया, जो क्रिमिनल मिसलेनियस सं0–9294/2022 के रूप में इस प्रक्षेण (Observation) के साथ निस्तारित हुआ कि आवेदक अभियुक्त निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत की मांग करें। उपरोक्त जमानत आवेदनों एवं वर्तमान जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में स्वीकार किया गया है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध झाझा थाना कांड सं0–297/21 एवं सिमुलतला थाना कांड सं0–121/2023, जो उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) से संबंधित है, लंबित है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति के कारण झुठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त का इस केस से कोई संबंध नहीं है। सह अभियुक्त धीरो यादव को इसी न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई थी। आवेदक का मामला भी इसी प्रकार का है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 16.05.2026 से काराधीन है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। काण्ड दैनिकी के पैरा 2 एवं 3 में काण्ड की सूचिका कुसमा देवी एवं सूचिका के पति संजय यादव तथा पैरा 7 एवं 8 में पड़ोसी उमा देवी एवं मंगिया देवी का बयान दर्ज है। सूचिका सहित इन साक्षियों ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए साररूप से कथन किया है कि दिनांक 10.04.2021 को रात्रि में कुछ लोगों ने काण्ड की सूचिका के घर का दरवाजा खपखटाया तथा दरवाजा खोलने पर हरवे हथियार से लैस होकर कुछ लोग जबरन घुस गये और काण्ड की सूचिका से बोला कि जल्दी अपना सारा जेवर एवं रूपया निकालो वरना अंजाम बुरा होगा। सूचिका के पति ने जब विरोध किया तो सूचिका एवं उसके पति संजय का हाथ रस्सी से बांध दिया और बक्से में रखा पांच लाख रूपया एवं चांदी का जेवर तथा उसकी अव्यवस्क पुत्री को लेकर भाग गये। **पूरक काण्ड दैनिकी के पैरा 36 से विदित होता है कि गुप्तचर की सूचना के आधार पर कथित अपहृता झाझा रेलवे स्टेशन से बरामद हुई थी। अभिलेख के साथ कथित पीड़िता का द0प्र0स0 की धारा 164 का बयान संलग्न है तथा यह बयान दिनांक 11.07.2024 को दर्ज हुआ तथा उसने अपने बयान में कथन किया है कि वह धीरज से प्रेम करती है। जब उसकी उम्र 18 वर्ष हुई तो उसने दिनांक 21.4.2024 को धीरज से शादी कर ली।** यहां मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यह कथित घटना दिनांक 10.04.2021 की है तथाकथित अपहृता के बयान के अनुसार जब वह 18 वर्ष की हुई तो उसने दिनांक 21.04.2024 को धीरज से शादी की। यहां उल्लेखनीय है कि कथित घटना वर्ष 2021 की है। कथित अपहृता ने अपने दं0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान में कथन किया है कि उसने वयस्क होने पर सह अभियुक्त धीरो यादव से विवाह कर लिया है। धीरो यादव को इस मामले में जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र समर्पित करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है, **किंतु जमानत का यह बंधपत्र आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात स्वीकार किया जाएगा।**

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।

प्रति–विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।